

कार्यालय प्रधान आयुक्त
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर
Central Goods & Services Tax, Meerut
मंगल पाण्डेय नगर, चौ० चरण सहि विश्वविद्यालय के सामने, मेरठ
Mangal Pandey Nagar, Opp. C.C.S. University, Meerut-250005
Phone No. 0121-2762632, Fax No. 2761783

कैटीन सेवाओं की आउटसौरिंग हेतु सूचना
नविदि संख्या - 02/2017

आयुक्तालय मेरठ के मुख्यालय परिसर में स्थिति कैटीन के परचालन हेतु सील बंद लफिफे में दिनांक 01.10.2017 से 30.09.2018 तक की अवधि के लिए नविदि आमंत्रित की जाती है। नविदि सूचना तथा इसके फार्म / दस्तावेजों को दिनांक 01.09.2017 से 08.09.2017 तक कार्यालय समायावधि के दौरान इस कार्यालय के अधीक्षक (मुख्यालय)/ निरीक्षक (मुख्यालय) (कमरा नं० 401/ 410) से लिया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति/ फर्म नविदि फार्म एवं संबन्धित दस्तावेज सील बंद लफिफे में प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, मेरठ के कार्यालय में दिनांक 21.09.2017 को साय: 04:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। सभी प्राप्त नविदि दिनांक 22.09.2017 को अपराहन: 12:00 बजे इस कार्यालय के सभागार कक्ष में समिति के समक्ष खोली जाएगी। इच्छुक व्यक्ति/ फर्म या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति नविदि खोले जाने की प्रक्रिया में निर्धारित समय पर उपस्थित हो सकते हैं। कैटीन के परचालन हेतु इस नविदि के साथ संलग्न शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी ठेकेदार की नविदि को बना बताएं नरिस्त करने का स्वतंत्र अधिकार होगा। अन्य जानकारी के लिए दूरभाष 0121 - 2792711 / 2792712 पर संपर्क किया जा सकता है।

अपर आयुक्त (इन्फ्रा)
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर
आयुक्तालय मेरठ

पत्रांक 0 : सी०ई०/०४/कैटीन/मु०/मेरठ-1/2014/ 1642(S/L)

दिनांक : 31.08.2017

प्रतिलिपि:-

- 1 नजिसिहायक (मुख्य आयुक्त), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, मेरठ।
- 2 नजिसिहायक (प्रधान आयुक्त), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, मेरठ।
- 3 सहायक आयुक्त (का०/सत०), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, मेरठ।
- 4 शाखा प्रभारी, सिसिटम ब्रांच, (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
- 5 नियंत्रण कक्ष, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, मेरठ।
- 6 सूचना पट्ट।

अधीक्षक (मु०)
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर
आयुक्तालय मेरठ

कैंटीन के परचालन हेतु शर्ते

- 1 कैंटीन चलाने के लए केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर वभिग परसिर उपलब्ध कराएगा। इस परसिर में एक हाल होगा तथा स्टोर के साथ एक पृथक रसोई होगी | परसिर का मासकि शुल्क रु0 3000/- होगा |
 - 2 वभिग फर्नीचर एवं उससे जुड़ी हुई वस्तुएं उपलब्ध कराएगा तथा वभिग द्वारा ईटरकॉम की सुवधि उपलब्ध करायी जाएगी |
 - 3 ठेकेदार अपने कर्मचारियों से वभिगीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा इन्टरकाम पर दयि गये आदेशों के अनुसार रूम सर्वसि भी उपलब्ध कराएगा। ठेकेदार को यह सुनशिचिति करना होगा कि आदेश देने के 10 मनिट के अंदर उसका पालन कयिा जाये |
 - 4 ठेकेदार को सुनशिचिति करना होगा कि उसके कर्मचारी कैंटीन / रसोई मे उचति सफाई और स्वस्थ वातावरण बनाएँ रखें |
 - 5 कैंटीन का समय सभी कार्य दविसों में सुबह 9:00 बजे से साँय 6:30 बजे तक रहेगा | ठेकेदार को यह सुनशिचिति करना होगा कि कैंटीन में शांति बने रहे |
 - 6 ठेकेदार को इस टेन्डर के स्वीकार करने की तथिके पश्चात 01.10.2017 से कैंटीन सेवाए चालू करनी होगी। ठेकेदार के द्वारा मासकि करिया न दयि जाने की स्थिति मे कार्य कसिी और को आबंटति कर दयिा जाएगा | ठेकेदार के द्वारा उपलब्ध होने वाली वस्तुएं आदि में अगर कोई शकियात आदि आती है तो भी अनुबन्ध को नरिस्त करने का अधिकार इस कार्यालय को होगा |
 - 7 न्यूनतम मूल्य सेवाए देने वाले को ही जसिके सभी पूरव अहस्ता मानदण्ड संतोषजनक होंगे, सफल बोली लगाने वाला माना जाएगा | वतीय बोलियों के मूल्यांकन हेतु नमिनलखिति वरीयता दी जाएगी |
- (1) दोपहर का भोजन (लंच) - 40% (मदों की दरों का औसत नकिला जाएगा) |
 - (2) अल्पाहार (नाश्ता) - 30% (मदों की दरों का औसत नकिला जाएगा) |
 - (3) चाय/काफी - 20% (तदेव)
 - (4) मठिई - 10% (तदेव)
- 8 कैंटीन चलाने के अनुबन्ध की स्वीकृति ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं / शर्तो / अनुभव /

ठेकेदार की क्षमता / अन्य संबन्धति तथ्यो के ध्यान में रखते हुये कैंटीन समतिके स्व:वविक एवं अनुमोदन पर होगी | इस सम्बंध में कैंटीन समतिका नरिणय अंतमि होगा |

- 9 स्वीकृत कए गये बोली प्रस्तावक को सकियोरटी राशिके रूप में मुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय मेरठ के पक्ष मे रु0 15000/- की राशिएफ0 डी0 आर0 के रूप में टेण्डर मलिने के दो दनि के अन्दर अदा करनी होगी | कसिी भी शर्त का उल्लंघन करने पर सकियोरटी की धनराशजिब्त कर ली जाएगी तथा कैंटीन अनुबन्ध को नरिस्त कर दया जाएगा |
- 10 कैंटीन मे काम करते समय कैंटीन के कसिी कर्मचारी के साथ कसिी प्रकार की दुर्घटना / क्षति/ मृत्यु होने पर पूरी ज़मिमेदारी ठेकेदार की होगी | कार्यालय की कोई ज़मिमेदारी नही होगी |
- 11 कैंटीन समतिको बनिा कारण बताए टेण्डर को नरिस्त करने का पूरा अधिकार होगा |
- 12 इच्छुक व्यक्ति/ फर्म को अपने प्रस्ताव के साथ मुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय मेरठ के पक्ष मे देय डमिांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप मे रु0 3000/- की धनराशि जमानत के रूप मे जमा करनी होगी जो टेण्डर की कार्यवाही पूरी होने के तुरंत बाद सभी असफल बोली दाताओ को लौटा दी जाएगी |
- 13 ठेकेदार के द्वारा कैंटीन मे नियमति रूप से रखी जाने वाली वस्तुओं की न्यूनतम सूची संलग्न है। सामान्य तौर पर स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार ठेकेदार को वस्तुओं की गुणवत्ता एवं मात्रा को सुनिश्चित करना होगा जनिकी दरें नविदिा में अंकति करनी होगी |
- 14 सभी सामग्री वतिरण करने वाली वस्तुए जैसे कप, प्लेट और गलिस आदि ठेकेदार उपलब्ध कराएगा तथा यह स्वच्छ व उच्च कोटी का होना चाहयि |
- 15 कसिी भी प्रस्थथिि में प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय मेरठ का नरिणय अंतमि होगा तथा सभी को मान्य होगा।

कैन्टीन में सामान प्रतिदिन उपलब्ध रहने से संबंधित सूची

सामान का नाम

वज़न/मात्रा

दर/मूल्य

पेय /ड्रिक्स/चाय

1. चाय	कप /छोटा ग्लास /100 मली
2. चाय दो कप की केतली में	दो कप
3. काफी	एक कप /200 मली
4. कोल्ड काफी	एक छोटा ग्लास /250 मली
5. कोल्ड ड्रिक्स	पेप्सी /कोका कोला /लमिका इत्यादि
6. एक ग्लास लस्सी	300मली
7. एक ग्लास मैंगो शेक	300मली
8. एक ग्लास शकिंजी सोडा सहति	300मली
9. एक ग्लास मोसमी/संतरा जूस	300मली
10. एक ग्लास मक्सिड जूस	300मली

अल्पाहार/सनेक्स

11. एक समोसा चटनी सहति	
12. दो कचोड़ी आलू की सब्जी सहति	
13. छोले भदूरे	2 पीस
14. कुल्चे छोले	2 पीस
15. 2 टोस्ट + मक्खन लगाकर	
16. सैंडविचि	एक पीस
17. पेटीज	एक पीस
18. पकोड़ी बेसन आलू	100ग्राम
19. पकोड़ी बेसन ,पालक	100ग्राम
20. पकोड़ी बेसन , गोभी	100ग्राम
21. पकोड़ी,पनीर	100ग्राम

22. मक्सिड पकोडी बेसन	100ग्राम
23. ब्रैड पकोडा आलू	एक पीस
24. ब्रैड पकोडा पनीर	एक पीस
25. उबला अंडा	एक
26. 2 अंडे का ऑमलेट (ब्रैड के साथ)	एक
27. चाओमनि	एक प्लेट (150 ग्राम)
28. नमक पारे	100ग्राम
29. मीठे पारे	100ग्राम
30. बसिकुट नमकीन (स्टैंडर्ड कंपनी)	100ग्राम
31. बसिकुट मीठे (स्टैंडर्ड कंपनी)	100ग्राम

दोपहर का भोजन /लंच

32. छोले चावल	एक मीडियम प्लेट(250 ग्राम)
33. राजमा चावल	एक मीडियम प्लेट(250 ग्राम)
34. कढ़ी चावल	एक मीडियम प्लेट(250 ग्राम)
35. एक थाली भोजन सादा	चार रोटी ,चावल ,दाल , एक सब्ज़ी, सलाद
36. एक थाली भोजन स्पेशल	चार रोटी ,चावल ,दाल फ्राई , पनीर की सब्ज़ी, रायता / खीर ,सलाद
37. छोले/ आलू की सब्ज़ी - पूरी	4 पूरी
38. मसाला डोसा सांभर ,चटनी सहति	
39. 2 इडली सांभर चटनी सहति	
40. उत्तपम सांभर चटनी सहति	

आइसक्रीम/मीठा

45. आइसक्रीम	प्लास्टिक कप (100 मली)
46. फ्रूट क्रीम	प्लास्टिक कप (100 मली)
47. फ्रूट चाट	दोने में (150 ग्राम)
48. रसगुल्ला	50 ग्राम/पीस
49. बर्फी खोय की	50 ग्राम/पीस
50. पेस्ट्री (pineapple)	एक पीस
51. लड्डू बेसन	एक पीस

कैंटीन ठेकेदार का वविरण एवं अनुभव

1. नाम
2. पति का नाम
3. वर्तमान पता

4. स्थायी पता

5. कैटीन चलाने का अनुभव

क्रम स.	संस्था का नाम एवं पता	समयावधि	लगभग व्यक्ति (संख्या)

घोषणा:- मैंने/ हमने केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय मेरठ में कैटीन चलाने के लिए आवश्यक शर्तो (क्रम स. 1 से 15) को पढ़ लिया है तथा मैं/हम इन शर्तो के अनुपालन का वचन देता हूँ ।

हस्ताक्षर :

नाम :

फोन नंबर :